

कार्यालय, नगर पालिक निगम भिलाई-चरौदा, जिला - दुर्ग (छ.ग.)

क्र. / 978 / सम्पदा / विज्ञा.सूचना / 2025-26

भिलाई-चरौदा, दिनांक :- 29.07.2025

// रूची की अभिव्यक्ति (Expression Of Interest) //

नगर पालिक निगम, भिलाई-चरौदा क्षेत्रान्तर्गत तहसील कार्यालय के पास स्थित मिलेट कैफे का संचालन कराया जाना है, जिसके लिए नगर पालिक निगम, भिलाई-चरौदा में महिला स्व. सहायता समूहों से दिनांक - 30.07.2025 से दिनांक - 18.08.2025 समय - संध्या 05:00 बजे तक रूची की अभिव्यक्ति (Expression Of Interest) स्पीड पोस्ट / रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से आमंत्रित की जाती है। रूची की अभिव्यक्ति (E.O.I.) खोलने की तिथि - 19.08.2025 को समय - अपरान्ह 03:00 बजे है।

सामान्य शर्तें, धरोहर राशि, आवश्यक दस्तावेज़ व अन्य जानकारी नगर पालिक निगम, भिलाई-चरौदा की website <https://www.nagarnigambhilaicharoda.com> से डाऊनलोड कर निविदा की अंतिम तिथि तक कार्यालय में रजिस्टर्ड / स्पीड पोस्ट के माध्यम से जमा / स्वीकार किया जावेगा। अंतिम तिथि के बाद निविदा प्रपत्र स्वीकार नहीं किया जावेगा।

"जल ही जीवन है, जल/पर्यावरण को क्षति न पहुंचाएँ।"

आयुक्त
नगर पालिक निगम
भिलाई-चरौदा

कार्यालय नगर पालिक निगम भिलाई-चरौदा, जिला - दुर्ग (छ.ग.)

E-mail ID - cmobhilaicharoda@gmail.com, www.nagarnigambhilaicharoda.com

क्रमांक / / लो.नि.वि. / न.पा.नि. / 2025 भिलाई-चरौदा, दिनांक - / / 2025

// रुचि की अभिव्यक्ति //

छ.ग. शासन की अभिनव योजना अंतर्गत नगर पालिक निगम, भिलाई-चरौदा क्षेत्रांतर्गत तहसील कार्यालय, भिलाई-3 के पास स्थित मिलेट्स कैफे का संचालन करने के लिये नगर पालिक निगम, भिलाई-चरौदामें पंजीकृत स्व. सहायता समूह का चयन किया जाना है। उक्त कार्य हेतु दिनांक - 30.07.2025 से 18.08.2025 को समय - संध्या 05:00 बजे तक रुचि की अभिव्यक्ति (E.O.I.) स्पीड पोस्ट/रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से आमंत्रित की जाती है। निर्धारित समयावधि पश्चात् प्राप्त आवेदन को स्वीकार नहीं किया जावेगा। मिलेट्स कैफे के संचालन हेतु आवश्यक अर्हताएं एवं नियम शर्तें :-

1. मिलेट्स कैफे के संचालन हेतु नगर पालिक निगम, भिलाई-चरौदा द्वारा निर्मित यथास्थिति कैफे हॉउस अनुबंध पश्चात् निर्धारित समय के लिए संचालक को हस्तांतरित किया जावेगा।
2. कैफे हॉउस के हस्तांतरण पश्चात् नियत अवधि के लिए पूरा संधारण कार्य संचालक द्वारा किया जावेगा एवं कैफे हॉउस में स्थापित भवन में लगे समस्त विद्युत उपकरण, फर्नीचर, पाईप लाईन नल टोटी एवं अन्य स्थापित वस्तुओं को अनुबंध अवधि समाप्ति पश्चात् उसी स्थिति में नगर पालिक निगम, भिलाई-चरौदा के सुपुर्द करेगा जिस स्थिति में उन्हें दिया गया था।
3. इस हेतु आवेदक को अनुबंध के समय राशि रु. 25,000.00 (पच्चीस हजार रुपये मात्र।) अमानत राशि नगर पालिक निगम, भिलाई-चरौदा में जमा करना होगा।
4. मिलेट्स कैफे में संचालक को सिर्फ मिलेट्स से निर्मित व्यंजनों के विक्रय की अनुमति होगी। अन्य व्यंजनों की बिक्री हेतु नगर पालिक निगम, भिलाई-चरौदा से पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य होगा।
5. मिलेट्स कैफे के संचालन में आवश्यक कर्मचारियों/श्रमिकों में कम से कम तीन चौथाई (75 प्रतिशत) महिलाओं का नियोजन किया जाना आवश्यक होगा।
6. मिलेट्स कैफे के संचालन के लिए E.O.I. प्रपत्र शुल्क 500.00 रु. एवं अमानत राशि रु. 15,000.00 मात्र का F.D.R. के रूप में किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक से आयुक्त, नगर पालिक निगम, भिलाई-चरौदा के नाम से जमा करना होगा।
7. ऑफरदाता को लिफाफा 'अ' में अमानत राशि का F.D.R. एवं लिफाफा 'ब' में रुचि की अभिव्यक्ति का ऑफर पत्र पंजीयन प्रमाण पत्र (नोटरी/स्वयं द्वारा सत्यापित प्रति) प्रस्तुत करना होगा।
8. लिफाफा "अ" एवं "ब" लिफाफा के पृष्ठ भाग पर कार्य का नाम तथा लिफाफे का विवरण स्पष्ट शब्दों में लिखा होना आवश्यक होगा एवं पोस्टल पता सहित बड़े लिफाफा में डालकर स्पीड पोस्ट/रजिस्ट्री द्वारा आयुक्त, नगर पालिक निगम, भिलाई-चरौदा जिला - दुर्ग (छ. ग.) को प्रस्तुत करना होगा।

क्रमशः - 02

9. E.O.I. खोलने की कार्यवाही के दौरान सर्वप्रथम अमानत राशि जमा वाले लिफाफा खोला जावेगा, निर्धारित अमानत राशि एवं पंजीयन प्रमाण पत्र जमा पाये जाने उपरांत ही E.O.I. ऑफर पत्र वाला लिफाफा खोला जावेगा। निर्धारित अमानत राशि एवं पंजीयन प्रमाण पत्र जमा नहीं पाये जाने पर ऑफर पत्र E.O.I. वाला लिफाफा नहीं खोला जावेगा तथा संबंधित अवेदनकर्ता का जमा/प्राप्त E.O.I. निरस्त माना जावेगा।
10. ऑफर स्पीड पोस्ट अथवा रजिस्टर्ड डाक से ही स्वीकार की जावेगी।
11. सफल ऑफरदाता को अनुबंध हेतु सूचित किया जावेगा, जिसमें उल्लेखित समयानुसार अनुबंध करना होगा। समय-सीमा में अनुबंध नहीं किये जाने की स्थिति में जमा अमानत राशि राजसात करते हुए निविदा निरस्त कर दी जावेगी, जिसकी पृथक से सूचना नहीं दी जावेगी।
12. अनुबंधित संस्था द्वारा कार्य नहीं करने की स्थिति में/अनुबंध की शर्तों के उल्लघन की स्थिति में धरोहर राशि राजसात कर दण्ड विधान के तहत कार्यवाही की जावेगी।
13. मिलेट्स कैफे के संचालन हेतु 18 वर्ष से कम आयु के कामगार नहीं रखे जावेंगे। श्रम नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा। गोमाश्ता लाईसेंस, ट्रेड लाईसेंस लेना अनिवार्य होगा।
14. अनुबंधित स्व. सहायता समूह द्वारा इस कार्य के संचालन हेतु संलग्न कर्मचारियों की गैर कानूनी कार्यों में संलिप्तता होने की स्थिति में संपूर्ण जवाबदारी संस्था की होगी।
15. विभागीय अधिकारियों की दृष्टि में अनुबंधित, स्व. सहायता समूह द्वारा उपलब्ध कराये गये कर्मचारी का कार्य सही ढंग से नहीं करता है, उन्माद करता है, अन्य कोई ऐसा कार्य करता है जो नियम के विरुद्ध है तो सक्षम अधिकारी द्वारा निर्देशित किये जाने के उपरान्त 24 (चौबीस) घंटे के अंदर उक्त कर्मचारी को कार्य से पृथक कर अन्य कर्मचारी उपलब्ध कराये जाने हेतु अनुबंधित स्व. सहायता समूह बाध्य होगी।
16. अनुबंधित स्व. सहायता समूह द्वारा उपलब्ध कराये गये कर्मचारी से निगम की कोई आर्थिक क्षति होती है तो उसकी वसूली अनुबंधित स्व. सहायता समूह से की जावेगी एवं अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।
17. कार्य के दौरान किसी भी प्रकार की प्रतिकूल परिस्थितियों की समस्त जिम्मेदारी अनुबंधित स्व. सहायता समूह की होगी।
18. उपरोक्त कार्य के संचालन संधारण में विद्युत एवं अन्य संधारण कार्य, प्राकृतिक आपदा, चोरी, तोड़फोड़ एवं अन्य किसी प्रकार के नुकसान का संधारण संबंधित स्व. सहायता समूह को स्वयं के व्यय से करना होगा। समस्त विद्युत देयको का भुगतान संचालक द्वारा किया जायेगा।
19. कार्य के दौरान किसी प्रकार की दुर्घटना होने पर उसकी समस्त जिम्मेदारी अनुबंधित स्व. सहायता समूह की होगी।

//03//

20. आवेदक द्वारा ऑफर पत्र में नगर पालिक निगम, भिलाई-चरौदा को देय किराया राशि प्रतिमाह 15 तारीख तक निगम कोष में जमा करना अनिवार्य होगा। देय राशि प्रतिमाह 15 तारीख तक जमा नहीं करने की स्थिति में 18% वार्षिक की दर से ब्याज अतिरिक्त जमा करना होगा एवं लगातार 02 माह देय राशि जमा नहीं करने की स्थिति में अनुबंध निरस्त कर दी जावेगी। समस्त देय राशि मय ब्याज वसूली योग्य होगा।
21. आवेदक का कार्यकाल अधिकतम 03 वर्ष तक रहेगा कार्य संतोषप्रद होने की स्थिति में कार्यकाल 01 वर्ष तक विस्तारित किया जा सकेगा।
22. आवश्यकतानुसार कार्य की समयावधि को कम या अधिक करने का अधिकार आयुक्त, नगर पालिक निगम, भिलाई-चरौदा जिला - दुर्ग (छ.ग.) के पास सुरक्षित रहेगा।
23. E.O.I. की स्वीकृति/अस्वीकृत का अधिकार आयुक्त नगर पालिक निगम, भिलाई-चरौदा के पास सुरक्षित होगा।
24. E.O.I. के संबंध में किसी प्रकार के विवाद की स्थिति में विवाद के निराकरण हेतु आयुक्त नगर पालिक निगम, भिलाई-चरौदा का निर्णय अंतिम व सर्वमान्य होगा।
25. आवेदन स्पीड पोस्ट/रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से रूचि की अभिव्यक्ति सूचना में दिये गये समयानुसार कार्यालय, नगर पालिक निगम, भिलाई-चरौदा के पते में जमा करना अनिवार्य है। अन्य विधि से एवं निर्धारित समयावधि के उपरांत प्राप्त आवेदन स्वीकार्य नहीं होगा।
26. विस्तृत नियम एवं शर्तें कार्यालयीन अवधि में कार्यालय के सूचना पटल एवं विभागीय वेबसाईट www.nagarnigambhilaicharoda.in में देखी जा सकती है।

आयुक्त
नगर पालिक निगम
भिलाई-चरौदा

कार्यालय, नगर पालिक निगम, भिलाई-चरौदा, जिला - दुर्ग (छ.ग.)

//रुचि की अभिव्यक्ति//

कार्य का नाम :- नगर पालिक निगम, भिलाई-चरौदा क्षेत्रान्तर्गत तहसील कार्यालय,
भिलाई-03 के पास मिलेट्स कैफे का संचालन कार्य

//ऑफर पत्र//

क्र.	कार्य का नाम	नगर पालिक निगम, भिलाई-चरौदा को देय राशि रु./प्रतिमाह	
		अंको में	शब्दों में
1	2	3	
1	नगर पालिक निगम, भिलाई-चरौदा क्षेत्रान्तर्गत तहसील कार्यालय, भिलाई-03 के पास मिलेट्स कैफे का संचालन कार्य		

टीप :- संलग्न नियम शर्तों के अनुरूप

महिला स्व. सहायता समूह का नाम एवं
हस्ताक्षर सील सहित

आयुक्त
नगर पालिक निगम
भिलाई-चरौदा